

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 185/2011 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 01-08-2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अभियोजन

**बनाम**

1. रामनिवास पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल, उम्र 50 वर्ष।
2. प्रमोद कुमार उर्फ पूरन पुत्र जगदीशप्रसाद अग्रवाल उम्र 46 वर्ष। निवासीगण गोहद चौराहा थाना के पास गोहद चौराहा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०
3. जगदीश प्रसाद पुत्र मायाचन्द्र अग्रवाल, निवासी गोहद चौराहा, गोहद चौराहा थाने के पास, गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०.....**फौत**

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 455/2011 इ०फौ०  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र० 185/2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री भगवतीप्रसाद राजौरिया अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 30-08-2016 को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण का विचारण धारा 420, 467, 468 भा०दं०वि० के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 17.09.2010 या उसके करीब गोहद जिला भिण्ड में छल किया और एतद द्वारा फरियादी प्रदीप कुमार तथा क्रेता रंजीतसिंह को प्रवंचित किया और इस प्रकार से उसे बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि,

उस भूमि का जिस पर कि उनको कोई हक व अधिकार नहीं है रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र सम्पादित किया या कराया गया। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान या उसके करीब फरियादी प्रदीप कुमार अग्रवाल की स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन सर्वे क्रमांक 751 को अपने हिस्से की जमीन होना दर्शाते हुए जो कि वास्तव में आपके हिस्से की नहीं थी का बिक्रयपत्र रंजीतसिंह के पक्ष में निष्पादित कर कूट रचना की। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक या उसके करीब गोहद जिला भिण्ड में उनके द्वारा रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र की कूटरचना इस आशय से की कि उसे अमल के रूप में उपयोग में लाया जा सके।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि प्रकरण के आरोपी जगदीशप्रसाद पुत्र मायाचन्द्र अग्रवाल की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। उक्त आरोपी की मृत्यु होने से उसके संबंध में अपराध का उपसमन हो चुका है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदक प्रदीप कुमार पुत्र मंटोले अग्रवाल निवासी गोहद चौराहा के द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड को एक लेखीय आवेदनपत्र फर्जी बिक्रयपत्र किये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बावत् दिया गया जिसमें कि ग्राम छीमका परगना गोहद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 751 जो कि गोहद चौराहे रेल्वे स्टेशन रोड स्थित जैन मंदिर रोड पर है, जिसके संबंध में जगदीश पुत्र मायाचन्द्र अग्रवाल द्वारा आवेदक के विरुद्ध दीवानी दावा किया था और उसके द्वारा अपने पुत्र प्रमोद कुमार व रामनिवास के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक प्रार्थी के हिस्से को मानचित्र में दर्शाए हुए रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र कर लिया है, जबकि बिक्रीत प्लॉट उसका है और उसका मकान बना हुआ है। प्रार्थी की जमीन को छल पूर्वक हड़पने के उद्देश्य से उक्त मकान को प्लॉट दर्शाते हुए बिक्रय कर दिया गया है। जगदीशप्रसाद द्वारा उसके प्लॉट को कूटरचित दस्तावेज लिखकर षड्यंत्र करके धोखा देकर अपने पुत्रों के साथ मिलकर बिक्रय कर लिया है। उक्त लोगों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जाए। उक्त आवेदनपत्र पर एडिशन एस.पी. भिण्ड के द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा को अपराध धारा 420, 467, 468, भा.दं.वि का पंजीबद्ध कर विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर से थाना पर अप0क्रं0 221/10 आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा बिक्रयपत्र क्रमांक 44600 दिनांक 27.09.2010 की प्रमाणित छायाप्रति जप्त की गई तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 420, 467, 468 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि वह उनके पिता की जमीन हडपना चाहते हैं इस कारण उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 27.09.2010 या उसके करीब आरोपीगण के द्वारा फरियादी प्रदीप कुमार एवं क्रेता रंजीतसिंह को प्रवंचित किया गया?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा रंजीतसिंह को उत्प्रेरित किया गया कि जिस भूमि पर उनको कोई हक व अधिकार नहीं था उसके संबंध में बिक्रयपत्र निष्पादित कर उसके प्रतिफल स्वरूप आपने राशि प्राप्त की ?
3. क्या उक्त कृत्य आरोपीगण के द्वारा बेईमानी पूर्वक किया गया?
4. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान या उसके करीब फरियादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 751 को अपने हक व हिस्से की जमीन होना दर्शाते हुए मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बिक्रयपत्र सम्पादित कराया गया?
5. क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त बिक्रयपत्र की कूट रचना की गई?
6. क्या आरोपीगण के द्वारा कूट रचित बिक्रयपत्र इस आशय से निष्पादित किया कि उसे छल के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सके?

#### —: सकारण निष्कर्ष :-

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 6 :-

07. उपरोक्त बिन्दु परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचन की सुगमता तथा उसकी पुनरावृत्ति से बचने हेतु सभी बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. अभियोजन प्रकरण के अनुसार छीमका मौजा गोहद चौराहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 751 में से फरियादीगण का हिस्सा जिस पर कि उनका स्वत्व एवं आधिपत्य निहित था एवं जिस पर उनका मकान बना हुआ है को जगदीशप्रसाद के द्वारा अपनी होना बताते हुए

अपने पुत्र प्रमोद कुमार व रामनिवास से मिलकर रंजीतसिंह के पक्ष में बिक्रयपत्र निष्पादित करा दिया। जो कि छल व कपटपूर्वक षड्यंत्र कर के उक्त रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र कूट रचित रूप से निष्पादित कराया गया है।

09. धारा 415 भा.दं.वि. के अंतर्गत छल को परिभाषित किया गया है। छल के अपराध को घटित करने हेतु निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं— (अ) किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना, (ब) इस प्रकार से प्रवंचित किये गए व्यक्ति को कपट पूर्वक अथवा बेईमानी से इस बात के लिए प्रेरित करना कि वह किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति परिदत्त कर दे अथवा किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित हो और जो मूल्यवान सम्पत्ति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य हो पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित या नष्ट कर दे। (स) आरोपी के द्वारा बेईमानी पूर्वक उक्त कृत्य किया जाए।

10. कूट रचना को धारा 463 भा.दं.वि. के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कूट रचना हेतु आवश्यक तत्व :— (अ) आरोपी के द्वारा कूट रचना की जाए, (ब) इस प्रकार की कूट रचना किसी दस्तावेज के संबंध में जिसका कि कोई मूल्यवान प्रतिभूति या किसी सम्पत्ति को प्राप्त करने अथवा प्रदत्त करने का अधिकार दिया जाना आदि है। धारा 468 भा.दं.वि हेतु आवश्यक तत्व :— छल के प्रयोजन के आशय से कूट रचना किया जाना जिसका कि छल के प्रयोजन में उपयोग में लाना आशयत है।

11. अभियोजन प्रकरण के संबंध में घटना के फरियादी/प्रथम सूचना रिपोर्ट कर्ता प्रदीप अग्रवाल अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उनकी जमीन को अपना बताकर षड्यंत्र कर के आरोपीगण जगदीशप्रसाद, प्रमोद व रामनिवास ने रंजीतसिंह तोमर को बैच दिया। जिस जमीन को षड्यंत्र पूर्वक बिक्रय किया गया वह जमीन छीमका मौजा की सर्वे क्रमांक 751 है जो स्टेशन रोड जैन मंदिर के बगल में है जहाँ पर कि टावर लगा हुआ है और उनका कमरा बना हुआ है। साक्षी के अनुसार दिनांक 20.10.2010 को रंजीत तोमर बिक्रयपत्र लेकर उनके पास आया और यह बोलने लगा कि उक्त भूमि उनकी सम्पत्ति है उसमें से अपना सामान आदि हटा लो तो उसे पूछने पर उसने बताया कि उसने सम्पत्ति खरीद ली है जो रामनिवास, प्रमोद और जगदीश ने उक्त जमीन बैच दी है। आरोपीगण उस जगह पर खड़े होकर रंजीत तोमर के साथ आए थे और कह रहे थे कि तुम्हारी सारी जमीन बिकवा देंगे, तुम्हें बंद करवा देंगे और गुंडों से मरवा देंगे। उक्त जानकारी व घटना के बाद वह एस.पी. के पास अपने भाई रामप्रकाश को लेकर गया था और लिखित आवेदनपत्र उन्हें दिया था जो कि लिखित आवेदनपत्र प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एस.पी. के द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आदेश दिया था



जिस पर गोहद चौराहा थाना पर रिपोर्ट लिखी गई थी।

12. उपरोक्त संबंध में साक्षी रामप्रकाश अ0सा0 2 जो कि फरियादी का भाई है के द्वारा उक्त बात का समर्थन करते हुए बताया है कि गोहद चौराहा छीमका मौजा में उनका मकान बना हुआ है जिसका सर्वे क्रमांक 751 है तथा उस पर रिलाइन्स कम्पनी का टावर लगा हुआ है और उसमें गोदाम भी बना हुआ है। उनके उक्त मकान की बगल से लगा हुआ उसके चाचा आरोपी जगदीश अग्रवाल का मकान बना हुआ है। उनके व जगदीश के दोनों के स्थानों की अलग अलग वाउण्ड्री बनी हुई है और दोनों स्थान एक दूसरे से लगे हुए हैं। उनके हिस्से के भू-भाग में से कुछ रकवा जो कि 300 बर्गफिट है उसे जगदीशप्रसाद और उसके लडकों रामनिवास अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल ने अपना होना बताते हुए रंजीत तोमर जो कि ग्राम सर्वा का रहने वाला है को बैच दिया और उसकी रजिस्ट्री रंजीत के नाम करा दी। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा जगदीश के मकान के बीच से दो फिट का रास्ता दर्शाते हुए प्लॉट को अपना होना बताते हुए कुट रचित एवं फर्जी तरीके से आपस में षड्यंत्र रचकर प्रमोद और रामनिवास ने अपने पिता के साथ मिलकर उनके हिस्से के प्लॉट को अपना होना बताते हुए उसके बिक्रयपत्र में रकवा दर्शाते हुए रंजीत तोमर सर्वा वालों को बिक्रय कर दिया था।

13. साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि दिनांक 20 अगस्त 2010 को जब वह अपने उक्त स्थल पर था तो आरोपी प्रमोद, रामनिवास, रंजीत तोमर के साथ आए और उससे कहने लगे कि जगह खाली कर दो, उसके पूछने पर कि उसे क्यों खाली करने की कह रहे हैं तो रंजीत ने बताया कि जगह उसने खरीद ली है जो कि रामनिवास, प्रमोद, और जगदीश ने उन्हें बैच दी है। उनके द्वारा जमीन खाली न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और यह कहा गया कि उसकी सारी जमीन को षड्यंत्र कर के बैच देंगे। उक्त जानकारी और घटना के बाद थाने गया तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई फिर वह एस.डी.एम के पास गया वहाँ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर वह एस.पी. के पास अपने भाई प्रदीप के साथ गया था और उन्हें रिपोर्ट की थी। एस.पी. के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश करते हुए उन्हें गोहद भेज दिया गया, जहाँ कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को उसने रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त वयानामा की प्रतिलिपि पेश की थी जिसकी जप्ती पुलिस ने की थी। वयानामा की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 2 है और जप्ती पंचनामा प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रंजीतसिंह अ0सा0 4 जो कि विवादित भूमि का क्रेता होना बताया गया है। उक्त साक्षी लकवाग्रस्त होने से ठीक ढंग से उत्तर देने

की स्थिति में नहीं पाया गया। यद्यपि साक्षी ने पूछे जाने पर गोहद चौराहा में जगदीश से जमीन खरीदना और आर्टिकल ए की रजिस्ट्री दिखाए जाने पर उस पर अपनी फोटो होना और हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के पक्ष में रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र निष्पादित किया जाना स्पष्ट होता है।

15. प्रकरण के विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक आर0बी0सिंह अ0सा0 3 ने दिनांक 24.10.2010 को थाना गोहद में पदस्थ दौरान अप0क्रं0 221/2010 धारा 420, 467, 468 भा.दं.वि की केश डायरी प्राप्त होने पर उनके द्वारा विवेचना के दौरान साक्षी रामप्रकाश, प्रदीप एवं रंजीत के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध करना तथा दिनांक 27.09.2010 को रामप्रकाश के द्वारा बिक्रयपत्र क्रमांक 44600 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की थी को उन्होंने जप्त किया कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया था जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। बिक्रयपत्र की प्रतिलिपि आर्टिकल ए है। दिनांक 26.20.2010 को आरोपी रामनिवास एवं प्रमोद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 4 व 5 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है।

16. बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार लिया गया है कि आरोपी रामनिवास व प्रमोद के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। फरियादीगण ने उनकी जमीन को हड़पने के उद्देश्य से रिपोर्ट की है और इसी कारण उनके विरुद्ध असत्य कथन कर रहे हैं।

17. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के संबंध में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके विश्वनीयता एवं उनके साक्ष्य मूल्य के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

18. घटना के फरियादी प्रदीप अग्रवाल अ0सा0 1 के साक्ष्य कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पिता चार भाई थे, जिनके नाम मंटोलाल, किशोरीलाल, कन्हैयालाल और जगदीशप्रसाद है। वह मंटोलाल का लडका है, आरोपी प्रमोद, रामनिवास जगदीशप्रसाद के लडके हैं। जिस जगह के संबंध में बिक्रयपत्र लिखाना वह बता रहा है वह जगह उसके ताऊ किशोरलाल के द्वारा खरीदी गई थी। उक्त जमीन उसने ताऊ किशोरीलाल से खरीदी थी। उक्त स्थल किशोरीलाल से खरीदने के संबंध में कोई भी बिक्रयपत्र या कोई अन्य दस्तावेज फरियादी की ओर से पेश नहीं किया गया है। साक्षी इस बात की जानकारी न होना बता रहा है कि सर्वे क्रमांक 751 जगदीशप्रसाद के नाम पर है या नहीं। उसने खसरा नम्बर 751 के संबंध में पटवारी के रिकार्ड नहीं देखे थे। साक्षी इस बात की जानकारी भी न होना बता रहा है कि सर्वे नम्बर 751 पर किस किस व्यक्ति का कितना कितना रकबा है। साक्षी इस बात की भी जानकारी न होना बता रहा है कि

खसरा नम्बर 751 का राजस्व न्यायालय अथवा में अथवा नगरपालिका में कोई बटांकन हुआ अथवा नहीं। इस बात की भी जानकारी न होना बता रहा है कि विवादित भूमि के किस दिशा में किस व्यक्ति का कितना कितना रकवा स्थित है। इस संबंध में पुलिस को भी कोई कागजात नहीं दिए थे।

19. अभियोजन साक्षी रामप्रकाश अ0सा0 2 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि उसके पिता चार भाई थे जो कि आरोपी जगदीशप्रसाद उसका सगा चाचा है। विवादित सर्वे क्रमांक 751 का कुल रकवा 10 विश्वा होना जिसमें से 5 विश्वा आरोपीगण का होना भी स्वीकार किया है और एक भदौरिया का भी हिस्सा उसमें होना बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उनके पास इस संबंध में कागजात मौजूद है जिसमें कि सबका हिस्सा अलग अलग दर्शाया गया है, किन्तु ऐसे कोई कागजात उन्होंने पुलिस रिपोर्ट के साथ पेश नहीं किये। उनका मकान कुल कितने वर्गफिट में बना हुआ है यह नहीं बता सकता है। यद्यपि साक्षी इस सुझाव से इन्कार किया है कि जगदीशप्रसाद ने रंजीत तोमर को जो जमीन बिक्रय की है वह उन्होंने अपने हिस्से से बिक्रय की है। साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि बिक्रयपत्र प्र.पी. 2 आरोपी प्रमोद अग्रवाल और रामनिवास साक्षी के द्वारा रूप में नहीं है और न ही उनके द्वारा बिक्रयपत्र प्र.पी.2 लिखाए जाने का कोई उल्लेख है।

20. इस प्रकार घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता प्रदीप कुमार अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों से स्पष्ट है कि उसे वादग्रस्त स्थल की वस्तुस्थिति अथवा उसकी सीमा आदि के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि उनकी होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे सर्वे क्रमांक 751 में उसको कोई अधिकार या आधिपत्य होना दर्शित होता हो। निश्चित तौर से जिस बिन्दु पर दस्तावेज साक्ष्य अपेक्षित है उस बिन्दु को दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर ही प्रमाणित किया जा सकता है और इस संबंध में मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस बिन्दु पर साक्षी रामप्रकाश अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में यह बताया है कि उनके पास ऐसे कागजात मौजूद है जिसमें कि उनका हिस्सा, आरोपीगण का हिस्सा एवं एक भदौरिया का हिस्सा अलग अलग दर्शाया गया है, किन्तु उन्होंने कोई ऐसा कागजात रिपोर्ट के साथ पुलिस को पेश नहीं किये गये। किन कारणों एवं परिस्थितियों में इस संबंध में कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है यह विचारणीय है।

21. निश्चित तौर से यदि फरियादीगण का वादग्रस्त स्थल पर किसी प्रकार से अधिकार व आधिपत्य था तो इस संबंध में संबंधित भूमि उनके अधिकार व हिस्सा होने तथा



उनके आधिपत्य में होने के संबंध में संबंधित दस्तावेज एवं इस बिन्दु पर राजस्व दस्तावेज पेश कर इस तथ्य को प्रमाणित कर सकते थे, किन्तु फरियादी पक्ष के द्वारा कोई भी मूलभूत दस्तावेज न तो पेश किये गए और न ही प्रमाणित कराए हैं। इस संबंध में मात्र बिक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि फरियादी पक्ष के द्वारा पेश की गई है और उसकी जप्ती विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई है। इस बिन्दु पर विवेचना अधिकारी आर.बी.सिंह अ0सा0 3 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में यह बताया गया है कि अपराध से संबंधित सर्वे क्रमांक के खसरा आदि का अवलोकन भी नहीं किया था और मौके पर जाकर परिवादी एवं आरोपी कितने कितने रकवे पर काबिज हैं ऐसा भी कोई नक्शा नहीं बताया था। भूमि से संबंधित कोई भी नगरपालिका द्वारा मंजूरशुदा नक्शा आदि भी पेश नहीं किया गया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विवादित स्थल पर टावर और मकान का निर्माण होना फरियादीगण बता रहे हैं। निश्चित तौर से यदि उस पर किसी प्रकार का निर्माण था तो इस आशय की मंजूरी आदि भी पेश की जा सकती थी, किन्तु ऐसा भी कोई दस्तावेज उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है।

22. यह भी उल्लेखनीय है कि बिक्रयपत्र प्र.पी.2 जो कि जगदीशप्रसाद के द्वारा रंजीतसिंह के पक्ष में निष्पादित किया जाना दर्शित होता है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि भूमि खसरा क्रमांक 751 रकवा 0.10 में से बिक्रेता अपने हिस्से की भूमि 0.05 विश्वा बिक्रय बिक्रय कर रहा है और बिक्रयपत्र के साथ बिक्रयपत्र किए गए स्थल की चतुरसीमा भी दर्शाई गई है। इस बिन्दु पर साक्षी रामप्रकाश अ0सा0 2 जो कि फरियादी का भाई है के द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया गया है कि जगदीशप्रसाद उनके चाचा हैं जिनका कि उक्त सर्वे क्रमांक 751 में 10 विश्वा में से 5 विश्वा का हिस्सा है। फरियादी पक्ष के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र में दर्शाया गया स्थल उनके स्वामित्व या आधिपत्य में होने के संबंध में कोई तथ्य प्रमाणित नहीं कराया जा सका है। इस संबंध में दस्तावेज प्र.पी. 2 में दर्शाया गया स्थल फरियादीगण का ही है ऐसा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है। आरोपीगण के द्वारा उक्त दस्तावेज प्र.पी. 2 में दर्शाया गया स्थल के संबंध में बिक्रयपत्र छल पूर्वक और फरियादीगण को प्रवंचित करने के आशय से बेईमानी पूर्वक निष्पादित किया गया है अथवा दस्तावेज की कूट रचना की गई है या उक्त दस्तावेजों की कूट रचना दस्तावेज छल के प्रयोजन हेतु कूट रचना की गई हो यह तथ्य प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

23. यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी जगदीशप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण रामनिवास एवं प्रमोद जो कि जगदीशप्रसाद के पुत्र हैं।



उक्त दोनों ही न तो बिक्रयपत्र में बिक्रेता के रूप में है और न ही उसमें साक्षी के रूप में है। इस संबंध में फरियादी प्रदीप अग्रवाल अ0सा0 1 एवं साक्षी रामप्रकाश अ0सा0 2 के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पिता जगदीशप्रसाद को उक्त दस्तावेज निष्पादित करने में सहयोग प्रदान किया था। किन्तु इस आशय का भी कोई साक्ष्य प्रमाण मौजूद नहीं है कि बिक्रयपत्र निष्पादित करते समय वह अपने पिता के साथ सक्रीय रूप से सहयोग कर रहे थे। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बिक्रयपत्र जब निष्पादित किया गया इसकी जानकारी फरियादीगण उन्हें बाद में होना बता रहा है, ऐसी दशा में फरियादीगण प्रदीप अग्रवाल एवं रामप्रकाश बिक्रयपत्र निष्पादित करते समय न तो वहाँ मौजूद थे और न ही उस समय किस के द्वारा बिक्रयपत्र लिखाया जा रहा है इसकी उन्हें जानकारी होने की अपेक्षा की जा सकती है। इस बिन्दु पर साक्षी रंजीतसिंह अ0सा0 4 के कथनों से कि आरोपी रामनिवास एवं प्रमोद मौजूद होना एवं उनके द्वारा बिक्रयपत्र निष्पादित करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है एवं इस बिन्दु पर अन्य कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है।

24. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण के द्वारा फरियादीगण के साथ कोई छल किया जाना अथवा उनके द्वारा रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र जो कि मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में है की कूट रचना किया जाना अथवा कूट रचित दस्तावेज की कूट रचना छल के प्रयोजन से उपयोग में लाए जाने हेतु किये जाने का तथ्य किसी भी प्रकार युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने मामले को हर संदेह से प्रमाणित करना होगा, किन्तु अभियोजन अपने प्रकरण को किसी भी प्रकार संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है, जिससे कि आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणितकता सिद्ध होती हो।

25. अतः अभियोजन का प्रकरण विचारित किये जा रहे आरोपी रामनिवास व प्रमोद कुमार के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुए उन्हें आरोपित धारा 420, 467, 468 भा.दं.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला—भिण्ड म0प्र0

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला—भिण्ड म0प्र0